पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 01 अंक : 06 अप्रैल 2021 परस्पर संपर्क हेतु

समर्थन ने बनायी कोविड-19

महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण आबादी को मदद की रणनीति

कोविड-19 की दूसरी लहर ने ग्रामीण आबादी को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। संक्रमण की रोकथाम हेतु लगाये गए लॉकडाउन के कारण दूर दराज के गांव मुख्य धारा से कट गये हैं। इस महामारी का मुकाबला करने संबंधी सूचनायें और जानकारी भी उन तक आसानी से नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसी स्थिति में समर्थन संस्था द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाकर मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने कार्यक्षेत्र वाले जिलों में ग्रामीण आबादी को मदद पहुंचायी जा रही है। इस कार्य हेतु संस्था ने 4 समूह बनाकर उन्हें व अलग-अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी है।

एक समूह कोविड-19 महामारी से बचाव, रोकथाम, सावधानियां, संक्रमित होने पर उपचार आदि से जुड़ी जागरूकता सामग्री, ऑडियो/वीडियो का निर्माण व विश्वसनीय स्रोतों से इनका संकलन कर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जिलेवार नामांकित संस्था के कार्यकर्ताओं को भेजने का काम कर रहा है। जहां से इन संदेशों को अलग-अलग परियोजना के तहत बनाये गए स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, निर्देश, राहत योजनाओं संबंधी जानकारियों को भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों तक भेजा जा रहा है। लोग इस बीमारी से भयभीत न हों और गलत जानकारियों से बचें इसके लिये गांव के सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता नारों का दीवार लेखन भी कराया जा रहा है। दूसरा समूह जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और स्थानीय स्वयंसेवकों की मदद से होम आइसोलेशन और सामुदायिक आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्थाओं में पंचायतों को सहयोग प्रदान करने और व्यवस्थाओं पर नजर रखने का कार्य देख रहा है। तीसरा समूह किये जा रहे कार्यों और उनके प्रभावों से संबंधित आकड़े संकलित करने का काम कर रहा है, वहीं चौथा समूह किये जा रहे कार्यों को डाक्युमेंट करने और इन्हें विभिन्न प्लेटफार्म पर साझा करने की जिम्मेदारी निभा रहा है।

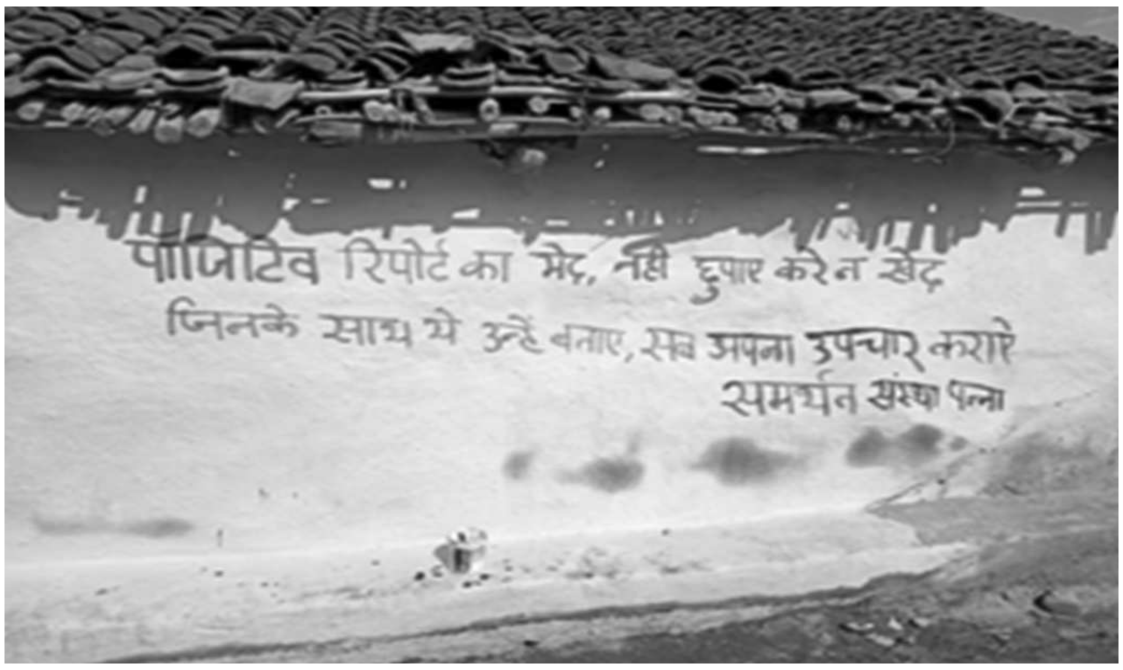

कोरोना महामारी के इस दौर में दिन प्रतिदिन नई-नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इन चुनौतियों का सामना करने और लोगों तक प्रभावी ढंग से मदद पहुंचाने की दृष्टि से वर्चुअल प्लेटफार्म पर प्रतिदिन समस्त कार्यकर्ताओं के साथ किये गए कार्यों की समीक्षा की जाती है एवं अगले दिन की रणनीति तैयार की जाती है। संस्था के जमीनी कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय प्रशासन को भी महामारी की रोकथाम में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर संचालित सामुदायिक आइसोलेशन केन्द्रों और कोविड उपचार केन्द्रों पर कोविड मरीजों के उपचार में सहायक मेडीकल उपकरण उपलब्ध कराने के प्रयास भी संस्था द्वारा किये जा रहे हैं। मदद के इस कार्य में अति गरीब, वंचित, गर्भवती महिला, विकलांग, अति कुपोषित बच्चे और एकाकी वृद्धजन वाले परिवारों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण और सामुदायिक या व्यक्तिगत संपर्क के दौरान सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

जानकारी

"मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना" से मिलेगा गरीब परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार

प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के नि:शुल्क कोविड उपचार हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरूआत की है। योजना के प्रमुख घटक-:

प्रथम घटक- प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल, सभी जिला चिकित्सालय एवं कोविड उपचार करने वाले समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पात्र परिवारों के सदस्यों का नि:शुल्क कोविड उपचार किया जाएगा।

द्वितीय घटक- प्रदेश के कुछ जिलों में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों में आवश्यक संख्या में आईसोलेशन एवं आई.सी.यू./एच.डी.यू. बेड अनुबंधित किये गये हैं। अनुबंधित बेड पर भर्ती होने वाले प्रदेश के समस्त कोविड मरीजों को नि:शुल्क् इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

तृतीय घटक- आयुष्मान भारत योजना के कार्डधारक संबद्ध अस्पतालों में

नि:शुल्क इलाज करा सकते हैं। राज्य शासन ने संबद्ध अस्पतालों में 20 प्रतिशत बेड आयुष्मान हितग्राहियों के लिये आरक्षित रखने के निर्देश भी दिये हैं।

योजना से जुड़ी अन्य महत्व पूर्ण बातें

◆ आयुष्मान पैकेज में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार हेतु प्राइवेट अस्पतालों की दरों के समकक्ष लाया गया है। जांचें जैसे - सीटी स्केन, एम.आर.आई. आदि की

जानकारी

अधिकतम सीमा जो पहले 5000 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष थी अब प्रति कार्डधारी 5000 रूपये कर दी गई है।

◆ कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या 579 के विरूद्ध मेडीसिन विशेषज्ञ वाले 268 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत संबद्ध हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिये जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर निजी अस्पतालों को पंजीकृत कर 3 माह की अस्थाई संबद्धता प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया है।

◆ आयुष्मान योजना अंतर्गत पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्धत कराने के काम को अभियान के रूप में लिया जायेगा। यदि पात्रता रखने वाले किसी परिवार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसे कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है, तो उसे निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जायेगा। यदि आयुष्मान कार्डधारक परिवार का कोई सदस्य जिसका कार्ड नहीं बना है वह कोविड पॉजीटिव होकर अस्पताल पहुंचता है तो वह निम्न दस्तावेजों के माध्यम से अस्पताल में प्रवेश पा सकता है-

1.परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान पर्ची जिससे साबित हो कि वह आयुष्मान कार्डधारक परिवार का सदस्य है।

2.परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं समग्र आई.डी.।

3. परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं किसी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी आयुष्मान कार्डधारक परिवार का सदस्य होने का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त प्रकारों से कोविड उपचार हेतु भर्ती होने पर तीन दिवस के भीतर मरीज के परिजन को मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा। जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्साओं एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

आयुष्मान योजना के कार्डधारियों के कोविड उपचार के लिये चिन्हित प्रत्येक आयुष्मान अस्पतालों के लिये शासकीय अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। कोई भी आयुष्मान कार्डधारक कोविड उपचार हेतु इन प्रभारी अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर सकता है। प्रभारी अधिकारियों के फोन नंबर की जानकारी जिला कोविड कंट्रोल सेंटर से प्राप्त की जा सकती है।

कोविड-19 के प्रबंधन में पंचायतें कर सकेंगी 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग

पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश के संचालक बी.एस. जामोद ने दिनांक 22 अप्रैल 2021 को प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत अनटाईड राशि में से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि का प्रशासकीय प्रावधान समस्त प्रकार के व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे। उक्त प्रशासकीय मद के अंतर्गत ही कोविड-19 की रोकथाम हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थायें जैसे- क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था, मास्क प्रदान करना, भोजन, आश्रय आदि के सुचारू संचालन हेतु की जा सकती हैं। इस हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 की कार्य योजना में सप्लीमेंट्री प्लॉन तैयार कर कोविड-19 की रोकथाम संबंधी व्यय की गतिविधि जोड़कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से व्यय संपादित किये जायें। उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की संपूर्ण राशि जारी की जा चुकी है।

कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान अति कुपोषित और 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पूरक पोषण आहार की व्यवस्था कोविड-19 से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रदेश स्तर पर लॉकडाउन जारी है। ऐसे में आंगनवाड़ी की सेवाओं का संचालन प्रभावित होने की स्थिति में जिले की अथवा परियोजना विशेष की आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु पूरक पोषण आहार के रूप में प्रावधानित नाश्तो एवं गर्म पका भोजन प्रदाय व्यवस्था बाधित होने की स्थिति में आंगनवाड़ी केन्द्र से संबंधित सांझा चूल्हा में संलग्न व स्वा-सहायता समूहों के माध्यम से रेडी-टू-ईट प्रदाय करने के निर्देश दिये गये हैं।

3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं 6 माह से 5 वर्ष के अति कम वजन/अति गंभीर कुपोषित बच्चों को निम्न मात्रा में 15 दिवस हेतु पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाना अनुशंसित है-

उक्तानुसार आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहने की स्थिति में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को रेडी टू ईट के रूप में पूरक पोषण आहार एवं 6 माह से 5 वर्ष के अति कम वजन/अति गंभीर कुपोषित बच्चों को थर्ड मील निर्बाध रूप से प्रदाय किया जायेगा। इस संबंध में निम्न लिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी-

1. आंगनवाड़ी सेवा अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों को एक बार में 15 दिवस हेतु निर्धारित मात्रा में टेक होम राशन के रूप में घर-घर जाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2. 3 से 6 वर्ष के बच्चों को संचालनालय द्वारा जारी निर्देश अनुसार टेक होम राशन के रूप में स्थानीय स्तर पर गर्म पका भोजन प्रदाय व्यवस्था से पूर्व से जुड़े समूह द्वारा तैयार रेटी टू ईट को प्रदाय किया जाये।

3.वैकल्पिक रूप से प्रदाय किये जाने वाले रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार वितरण के संबंध में अलग से थर्ड पार्टी से मूल्यांकन कराया जाये।

4.भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु समय-समय पर जारी गाईडलाइन्सल जैसे- मास्क का उपयोग, नियमित हाथ धुलाई, सेनिटाईजेशन, शारीरिक दूरी आदि का पालन सुनिश्चित किया जाये।

क्र.	प्रस्तावित रेसिपी	3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु प्रस्तावित मात्रा		6 माह से 5 वर्ष के अति कम वजन/गंभीर कुपोषित बच्चों हेतु थर्ड मील की प्रस्तानवित मात्रा	
		प्रतिदिन	15 दिवस हेतु	प्रतिदिन	15 दिवस हेतु
1	गेहूं आधारित सूखा दलिया मिक्क चर	150 ग्राम	2 किलो 250 ग्राम	230 ग्राम	3 किलो 450 ग्राम
2	चावल आधारित सूखा खिचड़ी मिक्क आचर	150 ग्राम	2 किलो 250 ग्राम	230 ग्राम	3 किलो 300 ग्राम
3	मिलेटस आधारित सूखा खिचड़ी मिक्कसचर	150 ग्राम	2 किलो 250 ग्राम	230 ग्राम	3 किलो 450 ग्राम
4	गेहूं, मूंग दाल मिक्सर दलिया चूरा	150 ग्राम	2 किलो 250 ग्राम	230 ग्राम	3 किलो 525 ग्राम
5	गेहूं, ज्वार/बाजरा/मक्काह, मूंग, चना, दाल मिक्सम सूखा खिचड़ी चूरा	150 ग्राम	2 किलो 250 ग्राम	230 ग्राम	3 किलो 600 ग्राम

कोरोना महामारी की दूसरी लहर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रमुख प्रयास

- पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार हेतु पंचायत स्तर पर आईसोलेशन सेंटर, ओक्सो मीटर एवं थर्मामीटर आदि की व्यवस्थाओं करने के निर्देश दिये गये हैं।
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ग्राम के समस्त पात्र परिवारों को तीन माह अप्रैल, मई एवं जून का राशन मुफ्त प्रदान किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजनांगत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और आयुष्मान कार्डधारकों को सरकारी और अधिकृत निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की व्यवस्था।
- पूरक पोषण आहार योजना अंतर्गत आंगनवाड़ियों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष के बच्चों एवं 6 माह से 5 वर्ष की आयु के अति कम वजन/अति गंभीर कुपोषित बच्चों को रेडी टू ईट व्यवस्था के स्थान पर सूखा अनाज दिया जायेगा।
- किल कोरोना-3 के अंतर्गत स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग अभियान सतत रूप से जारी है। जिसके तहत ग्राम स्तर समस्त संक्रमित व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच, कोविड टेस्ट एवं आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही है। जिला स्तर पर कॉल सेंटर स्थापित कर शीघ्र पहचान एवं त्वरित उपचार प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

कोविड-19 संक्रमित होम आइसोलेटेड मरीजों को मेडिसिन किट का वितरण

भोपाल। यह देखने में आ रहा है कि जो लोग जांच में कोरोना पॉजीटिव पाये जाते हैं वह एकदम घबराकर अस्पताल में भर्ती होना चाहते हैं, जबकि इनमे से लक्षण रहित एवं हल्के लक्षण वाले कोविड पॉजीटिव व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श लेकर होम आइसोलेशन में ही ठीक हो सकते हैं।

ऐसे व्यक्ति जो जांच में कोरोना पॉजीटिव पाये गये हैं, उनका चिकित्सकीय आंकलन और घर की स्थिति को देखने के पश्चांत होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी जा रही है। होम आइसोलेशन के दौरान बीमारी के उपचार हेतु सेवन की जाने वाली दवाईयों का किट राज्य सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही होम आइसोलेशन में रखी जाने वाली सावधानियों से संबंधित निर्देश और दवा सेवन संबंधी लीफलेट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगरीय निकाय के माध्यम से किया जा रहा है।

दवाइयों के किट में निम्न दवाइयां शामिल हैं

दवाई का नाम	मात्रा	सेवन की विधि
टेबलेट एजिथ्रोमाईसिन 500 एमजी	05 नग	दिन में एक बार
टेबलेट पेरासिटामोल 500 एमजी	10 नग	जब बुखार हो
टेबलेट सेट्रीजीन 10 एमजी	05 नग	रात्रि में एक बार
मल्टी विटामिन टेबलेट	10 नग	दिन में एक बार
टेबलेट रेनिटिडीन 150 एमजी	10 नग	दिन में एक बार
टेबलेट जिंक 20 एमजी	10 नग	दिन में एक बार
टेबलेट विटामिन-सी 1000 एमजी	10 नग	दिन में एक बार

महिला हिंसा मुक्त पंचायत

जेण्डर आधारित हिंसा रोकने में पंचायत की भूमिका पर केन्द्रित परिशिष्ट

यूएनएफपीए के सहयोग से छतरपुर जिले में जेंडर आधारित हिंसा रोकने में पंचायत की भूमिका पर केंद्रित परियोजना परिशिष्ट

क्या लॉकडाउन का दूसरा दौर फिर बढ़ाएगा महिलाओं की मुश्किलें

पिछले साल कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया तो ज्यादातर लोग घरों में कैद थे। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी महिला अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं आयी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार पिछले साल लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के दर्ज मामलों में ढाई गुना की वृद्धि हुई। यह वृद्धि तो दर्ज अपराधों के अनुसार है लेकिन इनकी वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब तक किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की अति नहीं हो जाती वह हिंसा करने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जैसा कदम नहीं उठाती। वह परिवार को बदनामी से बचाने और परिवार में सामंजस्य बनाये रखने का हर संभव प्रयास करती है। दूसरी बात यह है कि ये मामले उस समय दर्ज कराये गये जब लोगों को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी पूरी तरह बंद थे और महिलाओं की सुरक्षा के लिये काम करने वाली संस्थागत व्यवस्थायें भी सामान्य रूप से काम नहीं कर रही थी। ऐसे में इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि जो महिलायें शिकायत दर्ज करा पायीं उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा।

नेशनल क्राइम ब्यूरो ने 2019 के दौरान महिलाओं के खिलाफ 4.05 लाख अपराध दर्ज किए। इनमें से 1.26 लाख (30 प्रतिशत से ज्यादा) घरेलू हिंसा के मामले थे। लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा की शिकार महिलायें उस व्यक्ति के साथ कैद हो जाती हैं, जो उसके साथ हिंसा करता है। इनमें से अधिकांश के पास मोबाइल की सुविधा भी नहीं होती, जिससे वे हिंसा करने वाले के खिलाफ शिकायत भी नहीं दर्ज करा पाती।

शोध से पता चला है कि भारत में महिलाओं को कोरोना वायरस महामारी के दौरान पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। पहले से लिंग आधारित असमानताओं का सामना कर रही महिलाओं को कोरोना महामारी ने और अधिक गरीब कर दिया है। सीमित या बिना आय के जीवन यापन करने वाली गरीब महिलाओं को अपनी छोटी सी बचत को घरेलू जरूरतों पर खर्च करना पड़ रहा है। कई लोग कर्जदार हो गए हैं और समय के साथ, अपनी सीमित संपत्ति जैसे छोटे जानवर, गहने या यहां तक कि व्यापार के अपने उपकरण, जैसे कि गाड़ियां बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। संपत्ति के नुकसान ने उनके आर्थिक भविष्य को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया, यहां तक उन्हें भयंकर गरीबी में धकेल दिया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के लिये हेल्पलाइन नंबर जारी

कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की मदद हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 935495224 जारी किया है। इस नंबर पर देश के किसी भी हिस्से से कॉल कर मदद मांगने पर गर्भवती महिलाओं को तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

पिछले साल लॉकडाउन के दौरान घर वापसी की मुसीबतों को भूलकर प्रवासी एक बार पुनः रोजगार की तलाश में शहरों में लौट तो गये थे, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने उन्हें फिर घर लौटने के लिये मजबूर कर दिया। पिछले साल पुरूष प्रवासियों के गांव वापस आ जाने से स्थानीय रोजगार जिनमें महिलाओं को काम मिलता था, उन पर पुरूषों का बर्चस्व बढ़ गया था और महिलाओं के लिये स्थानीय रोजगार के अवसर कम हो गये थे। इस बार भी महिलाओं को यह नुकसान उठाना पड़ सकता है।

लॉकडान की अवधि में महिलाओं पर घरेलू काम, खाना पकाने, बच्चों की देखभाल करने, जलाऊ लकड़ी और पानी लाने जैसी जिम्मेदारियों का बोझ सामान्य दिनों की तुलना में अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा सामाजिक परंपराओं के कारण महिलाएं सबसे आखिर में भोजन करती हैं। कई बार भोजन कम भी होने पर महिलायें जो कुछ भी बचा-खुचा भोजन होता है उसे ही ग्रहण कर संतोष कर लेती हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। यदि परिवार और ग्राम पंचायत महिलाओं की परेशानियों को समझें और इन्हें कम करने के लिये प्रभावी कदम उठायें तो, महिलाओं की समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

परिवार का सहयोग

- पुरूष खाना बनाने, बर्तन धोने, पानी लाने में महिलाओं का हाथ बटायें
- परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें, ताकि सभी को एक समान पोषण मिले।
- महिला को आराम करने का अवसर प्रदान करें ।
- नौकरी चले जाने या बेरोजगारी का गुस्सा महिलाओं पर न निकालें।
- पारिवारिक समस्याओं के समाधान में महिलाओं की राय लें।
- ध्यान रखें कि गर्भवती और धात्री माताओं को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है।

पंचायत का सहयोग

- सुनिश्चित करें कि सभी पात्र महिलाओं को योजनाओं का समय पर लाभ मिले।
- महिलाओं और बच्चों के लिये संचालित सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी रखें।
- एकाकी महिला और महिला मुखिया परिवारों की सूची तैयार कर, इनका विशेष ध्यान रखें।
- गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों का नियमित टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पोषण आहार वितरण सुनिश्चित करें।
- महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की योजना बनायें।
- महिलाओं तक सेवाओं का लाभ पहुंचाने व निगरानी हेतु स्व-सहायता समूहों की मदद लें।
- यदि पंचायत में क्वारेंटाइन सेंटर स्थापित हो तो उसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखें।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून, 2005 के क्रियान्वयन संबंधी नियम

पिछले अंक में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून के प्रावधानों, कानून के तहत महिलाओं के अधिकार, आरोपी को सजा के प्रावधान के बारे में जानकारी प्रकाशित की गई थी। इस अंक में महिला और बाल विकास मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2006 को इस कानून के क्रियान्वयन हेतु जारी किये गए नियमों की जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

संरक्षण अधिकारी कौन, योग्यता और अनुभव-

- राज्य सरकार द्वारा किसी सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के सदस्य को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। प्रदेश में परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को संरक्षण अधिकारी बनाया गया है।
- संरक्षण अधिकारी को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो।
- संरक्षण अधिकारी की पदावधि न्यूनतम 3 वर्ष की होगी।
- राज्य सरकार, संरक्षण अधिकारियों को आवश्यक कार्यालयीन सहायता उपलब्ध कराएगी।

कौन दे सकता है ? संरक्षण अधिकारियों को घरेलू हिंसा की सूचना

- कोई भी व्यक्ति जिसे विश्वास हो कि घरेलू हिंसा का कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है अपने क्षेत्र के संरक्षण अधिकारी को लिखित या मौखिक सूचना दे सकता है।
- यदि सूचना देने वाला व्यक्ति लिखित जानकारी देने की स्थिति में नहीं तो संरक्षण अधिकारी समाधान करेगा और ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति की पहचान का रिकार्ड रखेगा।
- मौखिक सूचना की स्थिति में संरक्षण अधिकारी उसे लिपिबद्ध करेगा तथा उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
- संरक्षण अधिकारी दर्ज करायी गई सूचना कि पावती, बिना खर्च के सूचना देने वाले को देगा।

घरेलू हिंसा की रिपोर्ट-

- सरंक्षण अधिकारी घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर निर्धारित प्रपत्र-1 (डी.आई.आर.फार्म) में रिपोर्ट तैयार कर मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी प्रति जिस क्षेत्र में घटना हुई है वहां के पुलिस थाना तथा सेवा प्रदाताओं को भेजेगा।
- किसी पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, कोई भी सेवा प्रदाता प्रपत्र-1 (डी.आई.आर.फार्म) में रिपोर्ट तैयार कर उसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट और जिस क्षेत्र में घरेलू हिंसा की घटना हुई है वहां के संरक्षण अधिकारी को भेजेगा।

मजिस्ट्रेट को आवेदन-

- मजिस्ट्रेट को किया जाने वाला आवेदन धारा 12 के अधीन प्रारूप-2 या इसके निकट होगा।
- कोई भी पीड़ित व्यक्ति आवेदन तैयार करने में संरक्षण अधिकारी की सहायता ले सकेगा।
- पीड़ित व्यक्ति के अशिक्षित होने की स्थिति में संरक्षण अधिकारी आवेदन पत्र में लिखी जानकारी उसे पढ़कर सुनाएगा और समझाएगा।
- प्राप्त आवेदनों का निराकरण दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अनुसार किया जावेगा।

मजिस्ट्रेट से एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिये शपथ पत्र-

धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन एकपक्षीय आदेश प्राप्त करने के लिये जमा किया जाने वाला प्रत्येक शपथ पत्र प्रारूप-3 के अनुसार होगा।

संरक्षण अधिकारियों के प्रमुख कर्तव्य और कार्य

I. शिकायत करने वाले व्यक्ति की आवश्यक सहायता करना।

II. पीड़ित व्यक्ति को स्थानीय भाषा में उसके अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराना।

III. पीड़ित व्यक्ति के साथ संभावित खतरों का निर्धारण कर सुरक्षा योजना बनाना।

IV. पीड़ित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता उपलब्ध कराना।

V. पीड़ित व्यक्ति या उसके बच्चों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में सहयोग करना तथा इस हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।

VI. पीड़ित व्यक्ति या उसके बच्चों के आश्रय हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना।

VII. परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना तथा इसकी सूची मजिस्ट्रेट को भेजना।

VIII. दर्ज एवं अग्रेषित शिकायत, रिपोर्ट संबंधी दस्तावेजों का संधारण करना।

IX. शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित व्यक्ति या उसके बच्चों पर किसी प्रकार की हिंसा या दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है इस हेतु सभी संभव सहायता उपलब्ध कराना।

X. पीड़ित व्यक्ति, पुलिस एवं सेवा प्रदाताओं के साथ सतत संपर्क बनाये रखना।

XI. अधिकारिता क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं, चिकित्सा सुविधा एवं आश्रयगृहों की जानकारी रखना।

आपातकालीन मामलों में की जाने वाली कार्यवाही

यदि संरक्षण अधिकारी या किसी सेवा प्रदाता को ई-मेल या टेलीफोन के माध्यम से किसी पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से घरेलू हिंसा होने या होने की संभावना के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता तत्काल पुलिस की सहायता लेकर घटना स्थल का दौरा कर रिपोर्ट दर्ज करेगा तथा अधिनियम के तहत समुचित आदेश प्राप्त करने के लिये अविलंब मजिस्टेट को प्रस्तुत करेगा।

संरक्षण अधिकारी के कुछ अन्य कर्तव्य

1. यदि मजिस्ट्रेट द्वारा लिखित में ऐसा करने का निर्देश दिया जाये, तो संरक्षण अधिकारी-

क. साझी गृहस्थी में निवास परिसर का निरीक्षण और आरंभिक जांच करेगा, यदि न्यायालय द्वारा पीड़ित व्यक्ति को एक पक्षीय अंतरिम राहत देने के संबंध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा करेगा ऐसे गृह निरीक्षण के लिये आदेश पारित करेगा।

ख. समुचित जांच करने के पश्चात, उपलब्ध संपत्ति, बैंक खाते या न्यायालय द्वारा निर्देशित किये गए अन्य दस्तावेजों की फाइल तैयार करेगा।

ग. पीड़ित व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत सामान का कब्जा दिलाएगा जिसके अंतर्गत उपहार, आभूषण और साझी गृहस्थी का सामान भी शामिल है।

घ. पीड़ित व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा पुन: प्राप्त करने में सहायता उपलब्ध करायेगा।

ड़. पुलिस की सहायता से घरेलू हिंसा में उपयोग किये गए हथियार की जब्ती करेगा।

2. संरक्षण अधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वाहन भी करेगा, जो उसे राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिये जायें।

3. मजिस्ट्रेट, किसी मामले में प्रभावी राहत आदेशों के अतिरिक्त मामले के अच्छे प्रबंधन हेतु संरक्षण अधिकारी के व्यवहार से संबंधित निर्देश भी जारी कर सकेगा जिसे पूरा करने के लिये संरक्षण अधिकारी बाध्य होगा।

सेवा प्रदाताओं का पंजीयन

1. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1880 (1880 का 21) के अधीन पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी जो कानून के अधीन महिलाओं के अधिकारों और हितों के लिये विधिक सहायता, चिकित्साक सहायता वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक हों निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सेवा प्रदाता के रूप पंजीयन करा सकते हैं।

2. आवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार जांच में उपयुक्त पाये जाने पर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगी। प्राप्त आवेदन, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

3. पंजीयन हेतु निम्न पात्रता होना चाहिये-

- सेवा प्रदाता के रूप में अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवायें प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो।
- आवेदक संस्था या कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधा या मनोविज्ञान सलाह केन्द्र या कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा हो।
- आश्रयगृह का संचालन किया जा रहा हो। इसमें राज्य सरकार द्वारा आश्रयगृह की क्षमता, महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम, संचार सुविधा जैसे टेलीफोन आदि की व्यवस्था का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4. राज्य सरकार संबंधित संरक्षण अधिकारियों को सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध कराएगी और समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित कराएगी।

5. संरक्षण अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाताओं के समुचित ब्यौरा के संबंध में एक रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।

सूचना की तामील का माध्यम

1. अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं में हिंसा करने वाले व्यक्ति का नाम, घरेलू हिंसा की प्रकृति के अलावा अन्य ऐसे ब्यौरे जो संबंधित व्यक्ति की पहचान आसान बनाते हों शामिल किये जायेंगे।

2. सूचना की तामील संरक्षण अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा करायी जायेगी।

3. सूचना की तामील में जहां तक व्यवहारिक हो सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रावधान अपनाये जा सकेंगे।

4. सूचनाओं की तामील के लिये पारित किसी आदेश का वही प्रभाव होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता में पारित आदेशों का होता है।

परामर्शदाताओं की नियुक्ति

1.संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

2.निम्न व्यक्तियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

I. कोई व्यक्ति जो स्वयं विवाद से हितबद्ध है या पक्षकारों में से किसी एक से या उससे संबंधित है जो उनका प्रतिनिधित्व कर चुका है तब तक जब तक कि सभी पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में ऐसे आदेश को मान्य न कर लिया हो।

II. कोई विधिक व्यवसायी जो किसी मामले या किसी अन्य वाद या उससे संबंधित कार्यवाहियों में हिंसा करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ा हो।

3. परामर्शदाता जहां तक संभव हो महिला होगी।

परामर्शदाताओं द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया

1. परामर्शदाता न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के अधीन कार्य करेंगे।
2. परामर्शदाता पीड़ित व्यक्ति या दोनों पक्षकारों की किसी सुविधाजनक स्थान पर बैठक बुलाएंगे।
3. परामर्श के कारकों में एक कारक यह भी होगा कि हिंसा करने वाला व्यक्ति लिखित में वचन देगा कि वह ऐसी घरेलू हिंसा जिसकी शिकायत पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई है, से दूर रहेगा, न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करेगा तथा पीड़ित व्यक्ति से किसी भी माध्यम से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।
4. परामर्शदाता, परामर्श कार्यवाही इस बात को ध्यान में रखते हुए करेगा कि घरेलू हिंसा की पुनर्रावृत्ति नहीं होगी।
5. परामर्शदाता परामर्श के लिये दोनों पक्षकारों द्वारा सुझाए गये उपायों को ध्यान में रखते हुए जो अपेक्षित हो समाधान पर पहुंचने का प्रयास करेगा।
6. परामर्शदाता का उद्देश्य पीड़ित व्यक्ति के प्रति घरेलू हिंसा को समाप्त करना होगा, जिसमें वह पीड़ित व्यक्ति की इच्छाओं और संवेदनाओं का ध्यान रखेगा।
7. परामर्शदाता विवाद के समाधान के समय, समझौते की शर्तों को लिपिबद्ध करेगा तथा इस पर दोनों पक्षों की सहमति प्राप्त करेगा।
8. परामर्शदाता उचित कार्यवाही हेतु यथासंभव शीघ्र अपनी परामर्श रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
9. न्यायालय, परामर्श द्वारा विवाद का समाधान हो जाने की स्थिति में समझौता शर्तों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा।
10. उन मामलों में जिनमें परामर्श से समझौता संभव नहीं हो सका है, परामर्शदाता समझौता न हो पाने की रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत करेगा जिस पर न्यायालय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

संरक्षण आदेशों का भंग होना

1. कोई भी पीड़ित व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश के भंग होने की शिकायत कर सकेगा।

2. प्रत्येक शिकायत पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ लिखित में होगी।

3. संरक्षण अधिकारी शिकायत की प्रति और उस संरक्षण आदेश की प्रति जिसके भंग होने की शिकायत की गई है के साथ मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा।

4. व्यक्ति चाहे तो संरक्षण आदेश या अंतरिम आदेश भंग होने की शिकायत सीधे पुलिस या मजिस्ट्रेट को भी कर सकेगा।

5.संरक्षण आदेश के भंग किये जाने के पश्चात पीड़ित व्यक्ति द्वारा सहायता की मांग किये जाने पर संरक्षण अधिकारी, स्थानीय पुलिस से सहायता की मांग कर सकेगा तथा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने में व्यथित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करेगा।

6. घरेलू हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय न्यायालय अपने आदेश में पीड़ित व्यक्ति के संरक्षण हेतु निम्न पाबंदी लगा सकेगा।

- **क.** घरेलू हिंसा की धमकी देने या करने पर रोक का आदेश।
- **ख.** पीड़ित व्यक्ति को परेशान करने, टेलीफोन करने या अन्य तरह से संपर्क पर रोक का आदेश।
- **ग.** पीड़ित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्य स्थान जहां पर उसके जाने की संभावना हो, को खाली कराने या पास जाने पर रोक का आदेश।
- **घ.** आग्नेय अस्त्र या कोई अन्य खतरनाक हथियार कब्जे में रखने या उपयोग पर पाबंदी का आदेश।
- **ङ** एल्कोहल या अन्य नशीले पदार्थ के उपयोग पर रोक का आदेश।
- **च.** कोई अन्य आदेश जो पीड़ित व्यक्ति के संरक्षण, सुरक्षा और राहत के लिये अपेक्षित हो।

पीड़ित व्यक्ति को आश्रय

1. पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी आश्रयगृह के प्रभारी को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु धारा 6 के अधीन लिखित अनुरोध करेगा, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होगा कि यह आवेदन धारा 6 के अधीन किया गया है।
2. संरक्षण अधिकारी आश्रय हेतु अनुरोध करते समय धारा 9 एवं धारा 10 के अधीन दर्ज घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की एक प्रति भी संलग्न करेगा। परंतु आश्रयगृह प्रभारी किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा आश्रय हेतु आवेदन किये जाने से पहले घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न होने पर, आश्रय सुविधा देने से मना नहीं कर सकेगा।
3. पीड़ित व्यक्ति की अपेक्षा पर आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति की पहचान उजागर नहीं करेगा या जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, उसको इसकी जानकारी नहीं देगा।

व्यथित व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा

1. व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता किसी चिकित्सा सुविधा प्रदाता को धारा 7 के अधीन लिखित अनुरोध कर सकेगा। जिसमें धारा 7 के अधीन आवेदन किया गया है इसका स्पष्ट उल्लेख होगा।
2. संरक्षण अधिकारी आवेदन के साथ घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करेगा। परन्तु चिकित्सा सुविधा प्रदाता पीड़ित व्यक्ति को उसके द्वारा आवेदन से पहले घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न कराये जाने पर चिकित्सा सुविधा देने से मना नहीं कर सकेगा।
3. यदि घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज न करायी गई हो तो चिकित्सा सुविधा का प्रभारी व्यक्ति प्रारूप-1 में शिकायत दर्ज कर संरक्षण अधिकारी को भेजेगा।
4. चिकित्सा सुविधा प्रदाता पीड़ित व्यक्ति को बिना खर्च पर चिकित्सा परीक्षण की एक प्रति उपलब्ध करायेगा।

पंचायतें क्या कर सकती हैं-

- कानून के बारे में विभिन्न माध्यमों से सामुदायिक जागरूकता कर सकती हैं।
- जिला विधिक सहायता केन्द्र के सहयोग से विधिक सहायता शिविरों का आयोजन कर सकती हैं।
- कानून के प्रमुख प्रावधानों और जिम्मेदार व्यक्तियों के संपर्क संबंधी जानकारी का दीवार लेखन करा सकती हैं ।
- हिंसा पीड़ित महिला को कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने तथा त्वरित सहायता हेतु मदद कर सकती हैं।

गतिविधि से बनती समझ

अपना-अपना काम

स्रोत : नेशनल स्टैटटिस्टिकल ऑफिस, टाइम यूज सर्वे 2019

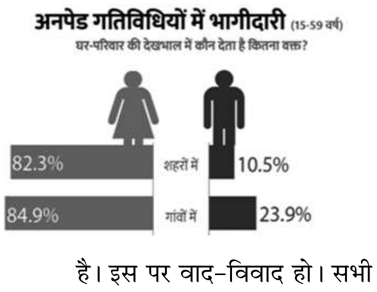

महिलाओं के द्वारा घर में बच्चों की देखभाल, सभी के लिये खाना बनाना, खिलाना, घर की साफ-सफाई, बड़े-बुजुर्गों की सेवा, खेत-खलिहान के छोटे-बड़े कामों में सहयोग करना जैसे अनेक काम किये जाते हैं। लेकिन उनके द्वारा किये गये कामों की न तो कोई गिनती होती है न ही कोई महत्व दिया जाता है। महिलाओं के द्वारा किये गये कामों को महत्व देना, उनकी भूमिका को सम्मान देना इंसाफ की दृष्टि से जरूरी है।

गतिविधि की प्रक्रिया: सभी साथी दो समूह में बंट जायें। परिवार के सदस्यों में से सुबह से लेकर रात तक घर में और घर के बाहर कौन, क्या करता है? इसकी सूची बनायें। किये जाने वाले कार्यों को लिखकर या चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों में घर का मुखिया, पत्नी, बेटा, बेटी, दादा, दादी, पुत्रवधु आदि को लिया जा सकता है।

गतिविधि को समेटना-

- दोनों समूह अपना-अपना प्रस्तुतिकरण दें। सभी साथियों के विचार आवें कि परिवार के सदस्यों द्वारा किये जाने वाले कामों के बारे में जो प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, वह कितना सही है। इस पर वाद-विवाद हो। सभी साथी अपने अनुभवों को जोड़कर, अपनी प्रतिक्रिया दें।
- इस बात को स्पष्ट किया जाये कि दोनों के काम जिंदगी और परिवार चलाने के लिये जरूरी हैं, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि महिलाओं को ढेरों ऐसे काम भी करने पड़ते हैं, जिन्हें 'काम' समझा ही नहीं जाता। इस दृष्टि से महिलाओं के दिन 'ज्यादा लम्बे' हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि 'महिलाओं का काम कभी खत्म नहीं होता'। इस सच्चाई से हम मुंह न मोड़ें, महिलाओं द्वारा किये गये कामों की कद्र करें, महिलायें स्वयं अपनी भूमिका को महत्व दें, यही जरूरी है।

(स्रोत : साझी बुनावट)

कश्मीर के इस गांव में शादी में दहेज -

फिजूलखर्ची पर रोक, दोनों परिवार मिलकर उठाते हैं खर्च, 30 साल से घरेलू हिंसा का एक भी केस नहीं

बड़े बुजुर्ग नजर रखते हैं, ताकि किसी को दहेज न देना पड़े

गांव में रहने वाले बसीर अहमद बताते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग इस बात पर नजर रखते हैं कि किसी को दहेज देने के लिये मजबूर न होना पड़े। काफी वक्त पहले एक मामला आया था, तब गांव के लोगों ने दहेज के सामानों में आग लगा दी थी। यहां तक कि हम अपनी बेटियों की शादी दूसरे इलाके में करते हैं तब भी हम गांव के नियम और सिद्धांतों को अपनाते हैं। ज्यादातर लोग इस उसूल की प्रशंसा करते हैं।

श्रीनगर के गांदबल जिले की खूबसूरत वादियों की बीच बाबा वायिल गांव बसा है। यहां के लोगों की नेकी की वजह से इस गांव को लोग 'बड़ा घर' कहते हैं।

यह श्रीनगर का एक मात्र गांव है, जहां शादी में जेवर और दहेज पर पूरी तरह पाबंदी है। इस गांव के लोग ऐसा तीन दशक से करते आ रहे हैं। इस गांव में दूल्हे या दुल्हन को उपहार में सोना देने जैसी रस्म नहीं होती, भले ही परिवार कितना ही पैसे वाला क्यों न हो। गांव के अमीर और गरीब आज भी उन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन करते हैं जो तीन दशक पहले बनाये गये थे। तब लिखित दस्तावेज पर गांव के सम्मानित लोगों ने हस्ताक्षर किये थे।

इस दस्तावेज के मुताबिक शादी में फिजूलखर्ची पर पूरी तरह से रोक है। सारे कार्यक्रम सादगीपूर्ण होंगे। लड़के और लड़की के परिवार वाले मिलकर शादी का खर्च उठाते हैं। दूल्हे का परिवार लड़की वालों को 50 हजार रूपये देता है। जिसमें 20 हजार की मेहर, 20 हजार कपड़े और 10 हजार अन्य खर्चों के लिये होते हैं। यानी लड़की के परिवार को बेटी की शादी में कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। इन नियमों के मुताबिक यदि कोई दहेज लेते हुए पाया जाएगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जायेगा। यहां तक कि उस परिवार में किसी के निधन पर भी गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं जायेगा।

इन सब नियमों ने लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। 30 साल में अब तक गांव में घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी एक भी मामला नहीं आया है। यही नहीं दहेज और शादी में खर्च का दबाव नहीं होने की वजह से गांव के लोग अपनी बेटियों की शादी 25 साल तक की उम्र में कर पाते हैं, जबकि कश्मीर के अन्य हिस्सों में लड़की को 35 साल की उम्र तक लड़के नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार दहेज और शादी का खर्चा उठाने में असमर्थ है। इस गांव के ज्यादातर लोग मध्यम वर्ग से आते हैं, जो अखरोट, पश्मीना का व्यवसाय और खेती करते हैं। कई लोग सरकारी और निजी कंपनियों में काम करते हैं। इस गांव की मस्जिद के 60 वर्षीय काजी मोहम्मद सईद कहते हैं कि लोग हमारे गांव में लड़कियों को व्याहना चाहते हैं। यहां बेटियां अपने परिवार पर बोझ नहीं है। सारे कार्यक्रम बेहद सादगीपूर्ण होते हैं और दहेज के लिये यहां कोई जगह नहीं है। हम इस बात से बाकिफ हैं कि दहेज घरेलू हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक है।

(स्रोत: दैनिक भास्कर, भोपाल)

हिंसा से मुक्ति की ओर

परामर्श और कार्यवाही के जरिये हिंसा मुक्त परिवार बनाने की पहल

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में यूएनएफपीए के सहयोग से समर्थन संस्था द्वारा ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों को हिंसा मुक्त पंचायत के निर्माण हेतु सक्रिय करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में समर्थन के कार्यकर्ताओं द्वारा फील्ड में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है तथा हिंसा ग्रसित महिलाओं को उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

रूढ़ियों को तोड़ने वाली 'बुआजी' की कहानी

आमतौर पर बेटियों को शादी के बाद पति के घर जाना पड़ता है और अपने सास-ससुर की सेवा करनी पड़ती है। परन्तु छतरपुर जिले के ब्लॉक लवकुशनगर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बागमउ में रहने वाले मलखान सिंह यादव की बेटी मानकुंवर बाई की कहानी इसके उलट है। मानकुंवर अपने पिता की तीन संतानों, दो बेटा एवं एक बेटी में सबसे बड़ी हैं। मानकुवंर कहती हैं कि उनके पिता ने कभी भी बेटा-बेटी के बीच किसी प्रकार का भेद नहीं किया। बचपन से ही पिता ने आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्रदान किये जो सामान्यत: बेटों को ही नसीब होते हैं। पिता के सहयोग ने मानकुंवर के मन में आत्मविश्वास कूट-कूट कर भर दिया, वह जैसे-जैसे बड़ी होती गई पिता को घर गृहस्थी हर कामों में सहयोग करने लगी।

लेकिन एक बेटी अपने पिता के साथ कब तक रहती, अन्य बेटियों की तरह एक दिन मानकुंवर की शादी भी पूरे

रीति रिवाज से ग्राम कमलपुर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश में एक युवक के

साथ कर दी गई। ससुराल जाने के बाद भी मानकुंवर को दोनों छोटे भाई और पिताजी की चिंता बनी रहती थी। इधर मलखान सिंह भी मानकुंवर के ससुराल चले जाने से अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन यह सोचकर मन को तसल्ली दे लेते थे कि यह तो सामाजिक परंपरा है कि हर लड़की शादी के बाद पति के साथ उसके घर जाकर रहती है।

मानकुंवर के मन में बार-बार यही सवाल आता कि क्या बेटे ही पिता का सहारा बन सकते हैं, लड़की क्यों नहीं? मानकुंवर ने अपने पति को पिता के घर में जाकर रहने के लिये काफी मिन्नतें की, लेकिन पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में ऐसा हो पाना आसान नहीं था। परन्तु मानकुंवर अपने पिता के यहां वापस लौटने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी और एक दिन अपनी ससुराल छोड़कर अकेली ही पिता के घर आकर रहने लगी। मानकुवंर के पति उसकी क्षमताओं और स्वभाव से प्रभावित तो थे ही, वे बहुत दिनों तक अपने को मानकुंवर से दूर नहीं रख पाये तथा वह भी ससुराल में आकर रहने लगे। मानकुंवर बाई ने पिता जी के घर पर तीन बेटियां और एक बेटे को जन्म दिया। अपने दोनों छोटे भाईयों की शादी करवायी, वह पहले की तरह ही खेती किसानी सहित अन्य सभी कामों में पिता को मदद करने लगी। मानकुंवर के पिता ने अपनी जमीन के 3 हिस्से कर एक हिस्सा मानकुंवर को देकर समाज को बेटा-बेटी एक समान का संदेश दिया।

मानकुंवर की सक्रियता केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है वह ग्राम के सभी जरूरतमंदों को हर संभव मदद प्रदान करती हैं। ग्राम की महिलाओं को योजना का लाभ दिलाना हो या किसी महिला के साथ घर में हिंसा हो रही हो, मानकुंवर हमेशा सहयोग करने में आगे रहती हैं। उनकी बात को ग्राम का हर व्यक्ति मानता है और उन्हें सम्मान से 'बुआजी' कहकर बुलाता है। उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें ग्राम महिला शक्ति समूह का अध्यक्ष भी बनाया गया है। मानकुंवर ने अपनी मेहनत और लगन से सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने में न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

फूलाबाई की कामयाबी को सलाम

यह कहानी है छतरपुर जिले के बड़ामलेहरा विकासखंड से 11 किमी दूर स्थित ग्राम पंचायत कायन में निवास करने वाली महिला श्रीमती फूला बाई की। जिन्होंने अपने अदम्य साहस से सरपंच पद का चुनाव जीता और अच्छे विकास कार्यों को अंजाम देकर अपनी पंचायत को विकासखंड की सर्व श्रेष्ठ 5 पंचायतों में शामिल कराया। एक महिला होने के कारण वे महिलाओं की समस्याओं और जरूरतों को बखूबी जानती है तथा पंचायत के कार्यों में महिलाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता देती हैं।

बात 15 साल पुरानी है जब फूलाबाई ने पंचायत के विकास और महिलाओं के कल्याण हेतु सरपंच का चुनाव लड़ने का फैसला किया। एक गरीब और अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते उनका सरपंच बन पाना इतना आसान नहीं था। लगातार दो चुनावों में मिली पराजय के बावजूद फूला बाई का हौंसला कम नहीं हुआ बल्कि अगले चुनाव की लड़ाई हेतु अपने को मजबूत बनाती रहीं। इस दौरान घर का खर्च उठाने के लिये फूला बाई को पलायन पर भी जाना पड़ा। जब तीसरी बार पंचायत में चुनाव का समय आया तो फूला बाई ने पुन: सरपंच पद के लिये पर्चा भरा। कहावत है कि ''कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती'' फूला बाई ने इसे चरितार्थ कर दिखाया। इस बार सरपंच का चुनाव जीतकर उन्होंने एक नई ईबारत लिख डाली।

एक गरीब, साधारण और अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते फूला बाई का सरपंच के रूप में काम कर पाना आसान नहीं था। लेकिन मजबूत हौंसले के आगे सभी अवरोध ध्वस्त होते चले गये। फूला बाई के नेतृत्व में पंचायत में अनेक विकास कार्य करवाये गये जिनके दम पर कायन पंचायत को नई पहचान मिली है। आज ग्राम की महिलायें अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं और सभी को सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। गांव के बाहर पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को सायकिल वितरण किया गया है।

मनरेगा योजना में जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। गांव के सभी रास्तों पर पक्की सड़क तथा नाली निर्माण कराया गया है। समर्थन संस्था द्वारा किये गये सुरक्षा ऑडिट से निकले महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों जैसे रास्तों में प्रकाश की व्यवस्था, पानी की उपलब्धता, सार्वजनिक जल स्रोतों पर महिलाओं के नहाने हेतु स्नानागार का निर्माण जैसे कार्य किये जा रहे हैं।

होम आइसोलेशन में रखें इन बातों का ध्यान

कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति की जिम्मेदारी

- सर्वप्रथम स्थायनीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या जिले स्तर पर नियुक्त निगरानी अधिकारी को अपने संपर्क में आये सभी व्यक्तियों की जानकारी दें।
- अपने संपर्क में आये सभी परिचितों को दूरभाष पर सूचित कर नजदीकी फीवर क्लीनिक में जांच कराने की समझाईश दें।
- संपर्क में आये परिचितों में से लक्षण युक्त को नजदीकी फीवर क्लीनिक में जांच कराने के लिये कहें।
- संपर्क में आये परिचितों में से लक्षण रहित को अपने संपर्क दिनांक से 5वें से 10वें दिन के बीच जांच कराने की सलाह दें।

होम आइसोलेशन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें

- व्यक्ति एक पृथक हवादार शौचालय युक्त कमरे में रहे।
- संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन अवधि में अपने कमरे से बाहर न निकले, अपने कमरे में ही खाना खाये और अन्य व्यक्तियों के सीधे संपर्क में न आये।
- अपने कपड़ों, आमतौर पर छुये जाने वाले जैसे - कमरे के सतहों (दरवाजे के हेंडिल, बिजली के बटन आदि) तथा शौचालय की सफाई 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूकशन से करें।

कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति के उच्च जोखिम वाले संपर्क

- घर के सदस्य।
- सीधे शारीरिक संपर्क अथवा संक्रमित स्राव के सीधे संपर्क में बगैर व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के आया व्यक्ति।
- बंद वातावरण में 1 मीटर से कम दूरी में आमने-सामने संपर्क में आया व्यक्ति।
- संक्रमण का जोखिम लक्षण उत्पन्न होने के 14 दिन के पूर्व से संभावित।

होम आइसोलेशन के दौरान सावधानियां

- कमरे से बाहर न निकलें और न ही किसी से मिलें।
- घर के अन्य सदस्यों विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिलायें, बच्चों से दूरी बनायें।
- किसी भी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल न हों।
- पर्याप्त संतुलित आहार और तरल पेय पदार्थों का सेवन करें।
- समुचित आराम करें तथा व्यक्तिगत स्वच्छता व साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें।
- चिकित्सकीय परामर्श अनुसार औषधियों का सेवन जारी रखें।

होम आइसोलेटेड रोगी के घर के सदस्यों के लिये सावधानियां

- वृद्ध संक्रमित व्यक्ति की देखभाल घर के युवा सदस्य करें।
- देखभालकर्ता सदैव 3 परत वाले मास्क का उपयोग करें।
- संक्रमित व्यक्ति को भोजन, पानी, औषधियां देते समय दूरी बनाये रखें।
- घर से बाहर न निकलें तथा अतिथियों को घर पर आमंत्रित न करें।
- देखभाल के दौरान सर्दी-खांसी, बुखार, गले में खराश आदि होने पर तुरंत एवं लक्षण रहित होने पर संपर्क दिनांक के 5वें से 10वें दिन के भीतर कोविड-19 की जांच करायें।

व्यक्ति में कोविड-19 पॉजीटिव के लक्षण दिखने पर परिवहन व्यवस्थायें

- जिला कोविड कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से चर्चा कर उपलब्ध बिस्तर के आधार पर स्वयं के साधन से चिन्हांकित केन्द्रों पर जा सकते हैं।
- स्वयं का परिवहन साधन न हो तो 108 एम्बुलेंस तथा प्रशासन द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।
- परिवहन के दौरान वाहन में मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये।
- हाथों की स्वच्छता हेतु सेनिटाइजर का उपयोग किया जाये।
- ड्राइवर द्वारा मास्क एवं दस्तानों का उपयोग किया जाये।
- यथासंभव एक वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सफर नहीं किया जाये।

पंचायत और विकास समाचार

बिना बायोमैट्रिक सत्यापन के मिलेगा 3 माह का मुफ्त राशन

मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश अनुसार कोविड-19 के फैलाव को रोकने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्या सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के 3 माह राशन एकमुश्त निःशुल्क वितरित किया जायेगा।

पात्र परिवारों को माह अप्रेल, मई एवं जून 2021 का राशन निःशुल्क एक मुश्तर माह अप्रेल में प्रदान किया जायेगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रेल, मई माह का राशन से शुल्क प्राप्त किया है, उन्होंने 3 माह का राशन निःशुल्क प्रदान कर समायोजन किया जायेगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रेल, मई एवं जून का राशन अभी प्राप्त। नहीं किया है, उन्हें माह अप्रेल, मई और जून का राशन एकमुश्तन निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जायेगा तथा राशन वितरण के साथ सभी हितग्राहियों को पीओएस मशीन से पावती भी प्रदान की जायेगी। वृद्ध एवं शारीरिक रूप से निःशुल्क हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाकर वितरण किया जाये अथवा नामिनी के माध्यम से वितरित किया जाये।

इस व्यवस्था के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यदि किसी हितग्राही को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन प्राप्त किया जाना है, तो उसको बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर ही राशन का वितरण किया जा सकेगा। एक समय में उचित मूल्य की दुकानों पर अधिक भीड़ न हो इसके लिये दुकानों को नियमित खोलने और खोलने के समय में वृद्धि किया जाकर कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गए हैं।

जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं उन्हें भी मिलेगा राशन : जिन परिवारों के पास राशन प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची नहीं है और वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित की गई 24 श्रेणी में से किसी श्रेणी में आते हैं तो उन्हें भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्रदान किया जायेगा। ऐसे हितग्राहियों को सत्यातपन पश्चात 3 माह के लिये अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे पात्र हितग्राहियों को, जो पात्रता पर्ची बनवाना चाहते हैं संबंधित दस्तातवेज न होने से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन का विवरण स्थानीय निकाय में पंजीबद्ध किया जाकर उसकी प्रतियां पंचायत कार्यालय में संधारित की जायेगी। अस्थायी पर्ची के लिये परिवार की समग्र आई.डी. जरूरी होगी। जिन हितग्राहियों की समग्र आई.डी. नहीं है स्थानीय निकाय द्वारा उनकी समग्र आई.डी. अति शीघ्र बनायी जायेगी। इसके लिये आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं हैं, परन्तुन जिनके पास आधार नंबर हैं तो वे पोर्टल पर दर्ज करे जायेंगे। यह प्रक्रिया 3 माह तक सतत रूप से जारी रहेगी।

पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जायेंगी जिसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रारूप भी राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है।

कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु संकट प्रबंधन समूह गठन

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजोरा ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिये जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर ब्लॉक स्तरीय, ग्राम स्तरीय एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों के गठन के निर्देश दिये हैं। जिला स्तर पर पूर्व में ही जिला संकट प्रबंधन समूह गठित है और उनके द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है।

इन समूहों द्वारा ब्लॉक, ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति के नियंत्रण के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वन और कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जायेगी।

विकासखण्ड संकट प्रबंधन समूह

विकासखण्ड संकट प्रबंधन समूह में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष होंगे। इस समूह में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, विकासखण्ड मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के आयुक्त के प्रतिनिधि अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, प्रोजेक्ट ऑफिसर महिला एवं बाल विकास विभाग, क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, कलेक्टर द्वारा नामांकित विकासखण्ड के जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्वयंसेवी संगठन सदस्य शामिल रहेंगे।

ग्राम संकट प्रबंधन समूह

प्रत्येक गाँव में गठित होने वाले ग्राम संकट प्रबंधन समूह में, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष, को समूह का अध्यक्ष बनाया जायेगा। ग्राम पंचायत के सचिव, जन अभियान परिषद के प्रतिनिधि, महिला स्व-सहायता समूह, राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ता , प्रशासनिक समिति के संबंधित ग्राम में निवासरत सदस्य, ग्राम रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और ग्राम के कोटवार/पटेल समूह के सदस्य होंगे।

नगरीय क्षेत्रों में वार्ड संकट प्रबंधन समूह

नगरीय क्षेत्रों में वार्ड संकट प्रबंधन समूह में वार्ड प्रभारी अधिकारी अध्यक्ष होंगे। क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामांकित जन-प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयंसेवी संगठन, जन अभियान परिषद, राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता महिला स्व-सहायता समूह सदस्य होंगे।

ऑनलाइन निगरानी कर युवाओं ने बंद करायी केरोसिन की कालाबाजारी

वासु अकोले दवारा

समर्थन संस्था द्वारा ग्रामीण युवाओं को विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के ऑनलाइन पोर्टलों का उपयोग कर लोगों को लाभ दिलाने एवं सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी हेतु लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से बड़वानी जिले के विकासखंड राजपुर की ग्राम पंचायत बघाड़ में एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पोर्टल पर प्राप्त होने वाली या देखी जा सकने वाली जानकारी के बारे में बताया गया। युवा इसमें कुशल हो सकें इसके लिये युवाओं से मोबाइल पर प्रेक्टिस भी करायी गई। युवाओं को बताया गया कि इस पोर्टल के माध्यम से हम किसी परिवार के द्वारा किस माह में राशन दुकान से क्या-क्या? सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त की गई तथा आगामी माह में कितना राशन मिलेगा यह जानकारी देख सकते हैं। प्रशिक्षण के

बाद युवा साथियों ने गांव के कुछ परिवारों को पिछले माहों में मिली राशन सामग्री की पोर्टल से जानकारी निकाली तो पाया कि बहुत से परिवारों के नाम पोर्टल पर केरोसिन का वितरण दर्शाया गया है जबकि उन्हें केरोसिन दिया ही नहीं गया। उन्हों ने बताया कि हमें तो यह कहकर केरोसिन नहीं दिया गया था कि आपके नाम पर ऊपर से ही केरोसिन नहीं आ रहा है।

अब गांव वालों कोरोसिन वितरण में की जा रही गड़बड़ी समझ में आ चुकी थी। अनेक ग्रामीण युवाओं के साथ राशन दुकान पहुंचे और पोर्टल पर मौजूद जानकारी के साथ राशन दुकान संचालक से बात की। सच्चाई सामने आने से संचालक घबरा गया और उसने फोन पर उच्च अधिकारी को इसकी जानकारी दी, मामला बिगड़ता देख अधिकारी ने संचालक को सभी से माफी मांगने और केरोसिन वितरण हेतु निर्देशित किया। संचालक ने ग्रामीणों से माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया। सभी ग्रामीण केरोसिन प्राप्त होने से बहुत प्रसन्न हुए और इसके लिये उन्होंने युवाओं के प्रति आभार भी व्यक्तन किया। यदि इस तरह हर गांव में युवा सार्वजनिक सेवाओं की निगरानी हेतु सक्रिय हो जायें तो बहुत हद तक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है।

पेंशन के लिये परेशान दो विधवा महिलाओं की कहानी

एक महिला की पेंशन बिना कारण बताये बंद कर दी गई तो दूसरी को पेंशन दिलाने में जिम्मेकदार नहीं निभा रहे थे अपनी भूमिका

वीरेन्द्रप त्रिपाठी द्वारा

यह कहानी है पन्ना जिले के अंतर्गत बिलखुरा पंचायत में निवास करने वाली दो विधवा महिलाओं की। पहली महिला का नाम फूलबाई पति स्वर्गीय नत्थू गौंड, 7 सदस्यों वाले इस परिवार का गुजारा कृषि और मजदूरी से होता है। पति की मृत्यु के बाद सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत अक्टूबर 2019 में कल्याणी पेंशन स्वीकृत हुई। इससे परिवार के भरण-पोषण में फूल बाई को काफी सहारा मिल गया। मार्च 2020 तक नियमित पेंशन मिलती रही लेकिन अप्रेल 2020 से खाते में पेंशन राशि आना बंद हो गई। इस दौरान कोविड 19 से बचाव हेतु पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ था जिसके कारण घर से निकलना भी मुश्किल था। लॉकडाउन खत्म

होने के बाद फूल बाई ने पंचायत में जाकर कई बार जानकारी लेनी चाही, कि आखिर किस कारण से मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। लेकिन पंचायत के जिम्मेतदारों ने न तो पेंशन बंद होने का कारण बताया, न ही उसकी पेंशन चालू करवाना उचित समझा। यह बात फूल बाई ने क्षेत्रीय कार्यकर्ता विजय शुक्ला व अंकित पटेल को बतायी। विजय शुक्ला व अंकित पटेल ने यह जानकारी संस्था के वरिष्ठ कार्यकर्ता को दी तो उन्होंने जनपद कार्यालय में जिम्मेदार

अधिकारियों से संपर्क किया। जांच में पता चला कि पेंशन राशि गलत खाता नंबर में जमा की जा रही है। इस पर फूल बाई के बैंक खाते की फोटोकॉपी जनपद कार्यालय में उपलब्ध कराकर खाता नंबर सही कराया गया। इसके साथ ही पिछले एक साल की पेंशन राशि जो दूसरे खाते में जमा की जा रही थी उसका भुगतान करने का आग्रह भी किया गया। लेकिन जब फूल बाई के खाते में पेंशन राशि आयी तो मालूम हुआ कि वह तो केवल वर्तमान माह की थी। इसके बाद कई बार निवेदन किया गया लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हुआ।

दूसरी महिला का नाम सुमन सेन है। बिलखुरा सुमन का मायका है, उनकी शादी सतना जिले में हुई थी, लेकिन लगभग 15 वर्ष पहले उनका परिवार बिलखुरा में ही आकर रहने लगा। 5 वर्ष पहले सुमन के पति की मृत्यु हो गई। जिससे सुमन तथा उसके 6 बच्चों के सामने भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया। लेकिन पंचायत के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के मन में सुमन को विधवा पेंशन दिलाने का ख्याल नहीं आया। संस्था के कार्यकर्ता जब घर-घर जाकर योजनाओं के लाभ सेवंचित लोगों की सूची तैयार कर रहे थे तो सुमन बाई के बारे में जानकारी मिली। सुमन को विधवा पेंशन के बारे में आवेदन करने के लिये कहा गया, इसके लिये उसने कई बार पंचायत के चक्कर लगाये, लेकिन पंचायत पदाधिकारी हर बार दूसरे जिले की निवासी होने का हवाला देते हुए अनदेखी करते गए। जब संस्था के कार्यकर्ता ने पंचायत में सुमन को पेंशन दिलाने हेतु बात की तो उन्होंने लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से सुमन बाई के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिये कहा। मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु लोक सेवा केन्द्र में आवेदन किया लेकिन पंचायत के पंचनामा और पटवारी की रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु दिनांक अलग-अलग होने के कारण लोक सेवा केन्द्र से आवेदन खारिज कर दिया गया। सुमन के पति का अंतिम संस्कार ग्राम बिलखुरा में ही हुआ था। सभी ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों को इस दुखद घटना की जानकारी थी फिर भी मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं बन पा रहा था।

प्रिंट मीडिया में खबर प्रकाशित होने पर जागे जिम्मेदार : दोनों ही प्रकरणों में कुछ समाधान होता न देख अंततः 23 मार्च 2021 को जिले के प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करायी गई। इसका असर यह हुआ कि आनन-फानन फूल बाई के बैंक खाते में 600 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से पिछले 12 माह की पेंशन राशि, 7200 रूपये जमा करा दी गई। सुमन बाई के भी सभी दस्तावेज आसानी से तैयार हो गए एवं एक सप्ताह के अंदर विधवा पेंशन के लिये आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर पेंशन स्वीकृत कर दी गई। माह अप्रेल 2021 से सुमन को भी पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी। दोनों महिलाओं के चेहरे पर संतोष और खुशी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

हितग्राही को नहीं पता कि 1 एक साल से क्यों बंद है पेंशन

कागजों व प्रक्रिया के जाल में उलझी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

23032021-Satna-4....

पन्ना एक्सप्रेस

कागजों-प्रक्रिया में उलझी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :

सम्पादक मंडल: पंकज पांडे, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, सादमा खान, नेहा छावड़ा, राहूल निगम, नारायण परमार, मनोहर गौर, विनोद चौधरी

पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713